# किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

**श्रावस्ती।** इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की कैद व 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 14 वर्षीय किशोरी 12 अक्तूबर 2014 दोपहर करीब एक बजे नित्य क्रिया के लिए खेत में गई थी। जहां पहले से घात लगाए बैठे थाना क्षेत्र के ही भंभरी भगवानपुर निवासी गुनऊ ने उसे दबोच लिया। जिसे बीच खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। किशोरी की चीख पुकार पर बगल खेत में काम कर रहे उसके चाचा के आ जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसका मामला किशोरी के पिता ने इकौना थाने में दर्ज कराया था। मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने की। जिनके तर्कों व साक्ष्यों पर विचारण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे तीन वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)